[illegible]

जिला कार्यालय इंदौर (म.प्र.)

पत्र क्रं. 436 /जिला नग्रानि/एल.वाय-747/07 इंदौर, दिनांक 4/2/08

प्रति,

सत्या इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.,

तर्फे श्री विद्युत पिता श्री ज्ञानचंद

10, ज्ञान्स पार्क, टेलिफोन नगर, इंदौर

विषय: ग्राम राहूखेडी तहसील इंदौर के खसरा क्रं. 112, 113/3, 113/4, 119/3/1, 129, 130, 131, 132, 133/2, 133/1/2 ख, 133/1/2 घ, 133/3, 133/159, 134, 137, 138, 139, 140/1, 140/2/1, 140/2/2, 141/142/2, 144/1, 146/2, 146/3, 146/3, 155/3, 156/1, 158/2, एवं 158/3, रकबा 43.479 हेक्टर भूमि के अनुमोदित अभिन्यास का स्थल [redacted] सत्यापन बाबद।

संदर्भ: आपका आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2007 एवं इस कार्यालय का अनुमोदित अभिन्यास पत्र क्रं. 5376, दिनां 7.7.2006

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषय में लेख है कि आपके द्वारा ग्राम राहूखेडी के खसरा क्रं. 112, 113/3, 113/4, 119/3/1, 129, 130, 131, 132, 133/2, 133/1/2 ख, 133/1/2 घ, 133/3, 133/159, 134, 137, 138, 139, 140/1, 140/2/1, 140/2/2, 141/142/2, 144/1, 146/2, 146/3, 146/3, 155/3, 156/1, 158/2, एवं 158/3, रकबा 43.479 हेक्टर भूमि पर इस कार्यालय के पत्र क्रं. 5376 दिनांक 07.07.06 के द्वारा अभिन्यास अनुमोदन किया गया था जिसका स्थल [illegible] सत्यापन किया जाता है। अनुमोदित अभिन्यास की शर्तें पूर्व अभिन्यास अनुमोदन पत्र क्रं. 5376 दिनांक 07.07.06 के अनुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त संचालक,
नग्रानि, जि. इंदौर

पत्र क्रं. /जिला/नग्रानि/एल.वाय.-747/07 इंदौर, दिनांक........08

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक,
नग्रानि, जि. इंदौर

New

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इन्दौर म.प्र.

प्ररूप पांच
(देखिये नियम 11)
कालोनी के विकास की अनुमति

दिनांक 20/11/2006 अनुमति क्रमांक 888

मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 मध्य प्रदेश नगर पालिका, अधिनियम 1961 और उसके अन्तर्गत, निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1997 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए श्री/श्रीमति/मेसर्स प्रभात डेव्लपर्स लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर विद्युत पिता ज्ञानचंद निवासी 10 ज्ञान्स पार्क टेलिफोन नगर इन्दौर को ग्राम राहूखेडी खसरा क्रमांक 108,112,113/3,113/4,119/2/1 119/3/1, 128, 130, 131, 132, 133/2, 133/1/2घ, 133/3, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2/1, 140/2/2, 141, 142, 143/2, 144/2, 146/1, 146/2, 146/3, 146/5, 147, 150, 151, 152, 155/1, 155/2/1, 155/2/4, 155/3, 156/1 कुल रकबा 46.104 हेक्टर भूमि ग्राम राहूखेडी में स्थित आवासीय कालोनी में विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. नगर. भूमि सीमा अधिनियम तथा नियंत्रण 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा ।
2. म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा ।
3. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा ।
4. कमजोर वर्ग के भूखण्डों / भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करना होगा ।

अनुविभागीय अधिकारी
सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इन्दौर म.प्र.

प्ररूप दो
देखिये नियम 3(4)
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

दिनांक 20/2/2006 रजिस्ट्रीकरण क्रमांक/ 01 /2006

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और उसके अन्तर्गत बनाये गये म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के अधीन आवेदक संस्था डेव्लपर्स प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री मनीष पिता नवलकिशोर अग्रवाल निवासी 6 ज्ञान्स पार्क टेलिफोन नगर इन्दौर को एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है :—

1. यह रजिस्ट्रीकरण ग्राम पंचायत लसुडियापरमार के ग्राम राहूखेडी तक सीमित है ।
2. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना के पूर्व सूचना कालोनाईजर को देना होगी ।
3. प्रत्येक कालोनी के लिए विकास की अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी ।
4. मौके पर विकास एवं निर्माण करने के पूर्व इस कार्यालय से डायवर्सन आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
5. मौके पर निर्माण एवं विकास करने के पूर्व इस कार्यालय से विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा तथा अभिन्यास में अभिलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
7. विकास कार्य पूर्ण करने पर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा ।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में यह लायसेंस स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

टीप.— नियमानुसार कालोनी के विकास की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही कालोनी की स्थापना, इसका विकास कार्य तथा भू—खण्डों/भवनों का विक्रय या विक्रय का करार वैध होगा ।

क्रमांक 357/री.सा./06
सांवेर दिनांक 20/2/2006

अनुविभागीय अधिकारी
सांवेर जिला-इन्दौर

अनुविभागीय अधिकारी
सांवेर, जिला-इन्दौर (म. प्र.)